कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)

क्रमांक ..2210.. / 2025 इन्दौर दिनांक....10/03/25

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला न्यायालय, इंदौर के कार्यालय उपयोग की परिवहन व्यवस्था हेतु निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत एवं समकक्ष वाहन किराये पर लेने हेतु सेवा प्रदाताओं से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 31.03.2025 को सायं 05.00 बजे तक है। सील बंद निविदायें समस्त दस्तावेज सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को सम्बोधित करते हुए आवक शाखा में जमा करना होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 01.04.2025 को दोपहर 02.00 बजे खोली जावेगी। विस्तृत निविदा दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय इंदौर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/indore पर उपलब्ध है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला इंदौर(म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)

तकनीकी निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रूचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी द्वारा निम्न जानकारी की पूर्ति की जानी है। (दस्तावेज संलग्न करें)

सरल कमांक	शीर्षक	विवरण	दस्तावेज (संलग्न है अथवा नहीं)
1	निविदाकर्ता का नाम तथा पता (फोन नंबर, ई–मेल एवं पंजीयन कमांक के साथ उल्लेख करें)		
2	व्यवसाय का प्रकार		
3	जी. एस. टी. पंजीयन संबंधित विवरण(यदि हो तो)		
4	निविदाकर्ता का आयकर पेन (PAN) नं. गत तीन वित्तीय वर्षो (2022–2023, 2023–2024 और 2024–2025) के आयकर रिर्टन		
5	निविदाकार का स्वयं के वाहन न होने की दशा में वाहन के पंजीकृत स्वामी के साथ निविदाकार द्वारा वाहन को किराये पर लिये जाने की स्वीकृति वाला अनुबंध पत्र (यदि हो तो)		
6	वाहन के वास्तविक स्वामी की जानकारी (वाहन कमांक, नाम व पूर्ण पता)		
7	आर. टी. ओ. से संबंधित दस्तावेज		
8	टैक्स		
9	बीमा		
10	पूर्व में किसी संस्था/कंपनी को किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने संबंधी जानकारी (संस्था का नाम, पता तथा समयावधि जिसके लिए वाहन किराये पर प्रदाय किया गया) (यदि हो तो)		

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

वित्तीय निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रूचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी द्वारा निम्न प्रारूप में वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जानी है

मासिक दर (प्रति वाहन)– अधिकतम रूपये 36013/– अथवा इस से कम

(स्विफ्ट डिजायर, जेस्ट एवं समकक्ष वाहन के किराए की दर)

क्र.	विवरण	मासिक दर (प्रति वाहन)
1	वाहन एवं ड्राइवर की प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्धता (पेट्रोल/सीएनजी सहित) 2500 किलोमीटर मासिक	

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

आवश्यक शर्तें

1– इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव दो–निविदा प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जावेगें। जिसमें पहला लिफाफा तकनीकी निविदा एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा का होगा। दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफा में रखकर प्रस्तुत किये जावेगें। तकनीकी निविदा में पात्र निविदाकर्ताओं के वित्तीय निविदा पर विचार किया जावेगा। समस्त निविदायें निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में यदि वे उपस्थित हो, जिला न्यायालय इन्दौर में गठित समिति द्वारा खोली जावेगी। फेक्स अथवा ई–मेल से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

2– अनुबंधित वाहन अच्छी कंडीशन में एवं 02 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन साफ सुथरा एवं सही हालत में रखा जाना होगा। जिसमें आवश्यक सीट कवर, पर्दे, हाई सिक्योरीटी नंबर प्लेट एवं अन्य सहायक उपकरण की उपलब्धता संविदाकार द्वारा की जावेगी।

3– अनुबंधित वाहन की कीमत 5,00,000/– से अधिक होना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकार को किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4– कार्यालय कलेक्टर (सत्कार शाखा जिला इंदौर) वित्तीय वर्ष 2024–25 द्वारा किराये के वाहनों हेतु प्राप्त निविदाओं के तुलनात्मक पत्रक गठित समिति द्वारा परीक्षण उपरांत न्यूनतम दर सूची के सरल क्रमांक–11 पर अंकित प्रतिमाह निर्धारित दर राशि रूपये 36013/– अथवा इससे कम राशि में वाहन किराये से उपलब्ध कराये जाने बाबत् निविदाएं निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।

5– वाहन के साथ 24 घंटे वाहन चालक उपलब्ध कराया जावेगा। वाहक चालक के अवकाश पर होने की स्थिति में अन्य वाहन चालक की व्यवस्था का दायित्व संविदाकार का रहेगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उत्पन्न समस्त दावे संविदाकार द्वारा वहन किये जावेगें। वाहन चालक का पुलिस वेरीफिशन कराया जाकर सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। वाहन चालक द्वारा मोबाईल फोन सदैव चालू रखा जावेगा एवं सफल निविदाकर्ता तथा वाहन चालक को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अन्य अधिकृत अधिकारीगण के निर्देशों का पालन करना होगा।

6– संविदाकार द्वारा एयरकंडीशन वाहन उपलब्ध कराया जावेगा। वाहन के खराब होने की स्थिति में संविदाकार द्वारा समकक्ष वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी जिसका पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। वाहन के टोल टेक्स एवं अन्य खर्चे संविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।

7– अनुबंधित वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर लाईलेंस, वाहन फिटनेस, वेध टेक्सी परमीट, कमर्शियल पासिंग सहित समस्त दस्तावेज निविदा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

8– वाहन में टूट–फूट, मरम्मत आदि कराये जाने का एवं वाहन को अच्छी कंडीशन में रखने का दायित्व संविदाकार का रहेगा। संविदकार द्वारा वाहन खराब होने की स्थिति में समकक्ष वाहन 24 घण्टे में उपलब्ध कराया जावेगा। अन्यथा बाजार से अन्य वाहन किराये पर लिये जाने की स्थिति में जिला न्यायालय इन्दौर द्वारा वहन की जाने वाली लागत सफल निविदाकार के देयक से समायोजित की जायेगी।

9– प्रारंभिक स्तर पर वाहन भण्डार क्रय नियम अनुसार अनुबंध दिनांक से 3 माह की अवधि तक किराये पर लिया जाना है। जिसकी अवधि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशो के पालन में आगामी पॉलिसी अनुसार बढ़ाई जावेगी।

10– वाहन किराये पर लिये जाने हेतु सफल संविदाकार को राशि रूपये 10,000/– की निविदा EMD राशि डी.डी./एफडीआर के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के नाम जमा कराई जानी होगी। जिसे अनुबंध समाप्ति के पश्चात् संविदाकार को वापिस कर दिया जावेगा। निविदा दस्तावेज जिला न्यायालय के नजारत अनुविभाग से प्राप्त किये जा सकते है जिस हेतु राशि रूपये 100/– निविदा दस्तावेज मूल्य चालान माध्यम से (हेड 0070–01–800–0000 न्याय प्रशासन अन्य प्राप्तियां) में जमा किये जाकर चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी होगी।

11– निविदा के संबंध में आगामी संशोधन होने की स्थिति में सूचना माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की बेव साईट पर उपलब्ध कराई जावेगी। निविदाकर्ताओं से कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जावेगा।

12– किसी कारण से निविदा जमा किये जाने अथवा खोले जाने की तिथि में अवकाश घोषित होने अथवा अन्य किसी कारण से कार्यवाही नहीं होने पर आगामी तिथि से निविदाकताओं को अवगत कराया जावेगा। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को कार्यालय समय प्रातः 10:30 पर जिला न्यायालय इन्दौर की आवक शाखा में निविदा जमा किये जाने पर मान्य होगी। उक्त समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं को मान्य नहीं किया जावेगा।

13– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना, बिना कारण बताये अनुबंध निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

14– निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज में मांगी गई समस्त जानकारी स्पष्ट रूप से भरा जाना एवं निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार की काटा–छाटी तथा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। निविदा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात निविदाकार को किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। निविदा स्वीकार होने एवं कार्य आदेश जारी होने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन एवं निविदाकार के किसी भी स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

15– निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।

16– प्रत्येक निविदाकर्ता को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिसे वे व्यक्तिगत् रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकते है। एक पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जावेगा।

17– सफल निविदाकर्ता को निविदा दिये जाने की सूचना कार्य आदेश द्वारा दी जावेगी। तदुपरांत निविदाकर्ता को जिला न्यायालय में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। जिसका समस्त व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

18– सफल निविदाकर्ता के देयकों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा संधारित लॉग बुक में इन्द्राज जानकारी के अनुसार किया जावेगा। वाहन चालक को प्रत्येक दिवस में चलाये गये वाहन की जानकारी एवं भरवाये गये पेट्रोल/सीएनजी की जानकारी रसीद सहित लॉग बुक में दर्ज की जाकर प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा। देयक का भुगतान प्रत्येक माह के अंत में किया जावेगा। संविदाकार के देयक का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शासकीय हेड में उपलब्ध बजट की स्थिति पर निर्भर होगा। भुगतान में विलंब की स्थिति में संविदाकार द्वारा जिला न्यायालय से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जावेगी।

19— कलेक्टर इन्दौर की दर सूची के सरल कमांक 11 में अंकित विवरण के तारतम्य में एक माह में वाहन के द्वारा न्यूनतम 2500 किलोमीटर की दूरी तय नही किये जाने की स्थिति में शेष दूरी अगले माह की 2500 किलोमीटर में जोड़ी जायेगी किन्तु 3 माह तक उक्त समस्त दूरी का उपयोग नहीं होने की स्थिति में उक्त जुडी हुई दूरी समाप्त हो जायेगी। इसी प्रकार एक माह में वाहन के द्वारा न्यूनतम दूरी से अधिक किलोमीटर चलने की स्थिति में अगले 2 माहों की दूरी से समायोजन किया जावेगा। सफल निविदाकार द्वारा वाहन में निर्धारित दूरी अनुसार डलवाये गये ईधन का व्यय वहन किया जायेगा।

20— निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय इंदौर से उनके दूरभाष नं. 9827326067 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला इंदौर(म.प्र.)

उपरोक्त समस्त शर्ते स्वीकार है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम